# न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह शेखावत

मुकदमा न. 12/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

| | |
|---|---|
| 07.06.2018 | पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह शेखावत निवासी मु.पो. सावलोदा धायलान तहसील धोद मैसर्स– श्री मिलन मावा एण्ड रसगुल्ला भण्डार सालासर बस स्टेण्ड, सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–930 खाद्य पदार्थ खौआ का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह शेखावत के 5,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो<br>निर्णय सुनाया गया । |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official